

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)
// संशोधित-आदेश //

क्रमांक / 12 / एक / 11 / 03 / सां. / 2010

अशोकनगर, दिनांक 24.04.2026

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश कं0 327/गोपनीय/2026/दो-2-1/2026 दिनांक 03.04.2026, आदेश कं0 359/गोपनीय/2026/दो-3-1/2026 दिनांक 05.04.2026 के द्वारा न्यायिक जिला स्थापना अशोकनगर मुख्यालय पर क्रमशः श्री सुनील कुमार की पदस्थापना स्थानांतरित न्यायिक अधिकारी श्री प्रकाश केरकेट्टा के स्थान पर प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वितीय अति. न्यायाधीश, व श्री किशोर कुमार निनामा की पदस्थापना स्थानांतरित न्यायिक अधिकारी श्री उपदेश राठौर के स्थान पर प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति.न्यायाधीश अशोकनगर तथा तहसील मुंगावली पर सुश्री दिव्यांशी मंडराई की पदस्थापना स्थानांतरित न्यायिक अधिकारी डॉ. अनु सिंघई के स्थान पर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली तथा तहसील चंदेरी पर सुश्री अदिति कैथवास की पदस्थापना स्थानांतरित न्यायिक अधिकारी सुश्री मानसी अग्निहोत्री के स्थान पर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी एवं तहसील ईसागढ़ पर सुश्री श्वेता आर्य की पदस्थापना व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ईसागढ़ के रूप में, की गयी है।

उक्त आदेशों के फलस्वरूप न्यायिक जिला स्थापना अशोकनगर मुख्यालय पर श्री.राकेश कुमार पाटीदार द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर एवं सुश्री द्रुतिका उपाध्याय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली के न्यायालय वर्तमान में रिक्त हो गये हैं।

अतः इसके फलस्वरूप संशोधित कार्य विभाजन आदेश कं0 09 दिनांक 01.04.2026 को निरस्त करते हुए कार्य विभाजन आदेश कं0 01 दिनांक 04.01.2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा:-

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
	<p><u>संशोधित कार्य विभाजन आदेश कं0 09 दिनांक 01.04.2026 को निरस्त करते हुए, कार्य विभाजन आदेश कं0 01 दिनांक 04.01.2026 के पृष्ठ क्रमांक 05 के सरल कं0 3 के बिन्दू कं0 04,06,08 को विलोपित किया जाकर, पृष्ठ कं0 06 पर सरल कं0 04 के बिन्दू कं0 02(अ), 3(अ) व पृष्ठ कं0 08 के सरल कं0 05 के बिन्दू कं0 7(अ) के रूप में व नवीन बिन्दू कं0 7(ब) स्थापित कर तथा पृष्ठ क्रमांक 18 के सरल कं0 21 के बिन्दू कं0 01,02,03,04 को विलोपित कर, पृष्ठ कं. 17 के सरल कं0 19 में स्थापित कर एवं पृष्ठ कं0 19 पर सरल कं0 23 में व पृष्ठ कं. 20 के सरल कं0 25 के तुरंत बाद सरल कं0 25(अ) के रूप में स्थापित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन स्थापित किया जाता है :-</u></p>		
3.	द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (रिक्त न्यायालय)	सत्रखण्ड अशोकनगर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप.अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौंपे जावेंगे।

4 प्रथम सत्रखण्ड
जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के
द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश
(श्री सुनील कुमार कौशिक)
तहसील अशोकनगर एवं नईसराय

2. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक एवं व्यवहारवाद तथा अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण
3. संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट न्यायालय में दोनो अधिनियमों, अर्थात्, पॉक्सो एक्ट एवं एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत दर्ज किये गये प्रकरणों को छोड़कर)
5. राजस्व जिला अशोकनगर से उद्भूत अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये अधिनियम, 2019 (2019 का 21) के मामले।
7. अन्य सभी प्रकार के साम्प्रतिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे।

1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप. अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौंपे जावेंगे।
2. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक एवं व्यवहारवाद तथा अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण

- 2(अ) तहसील अशोकनगर एवं नईसराय से उत्पन्न एक करोड़ एक रुपये से दस करोड़ रुपये तक के व्यवहारवाद मय दिवालिया प्रकरण।

3. मुख्यालय अशोकनगर क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।

नोट—माननीय उच्च न्यायालय से अधिसूचना प्राप्त होने की दिनांक से ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रभावशील होगा।

- 3(अ) प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी क्लेम प्रकरण।
4. भू-अर्जन संबंधी प्रकरण।
5. लघुवाद अधिनियम के अंतर्गत 500 से अधिक एवं 1000 रु. तक के प्रकरण।
6. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि. के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा. विधान के अंतर्गत

**तहसील
अशोकनगर,
ईसागढ़, शाढौरा,
नईसराय
(दिनांक 01.07.
2026 से दिनांक
30.09.2026 अवधि
तक के लिए)**

पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें।

7. तहसील अशोकनगर ईसागढ़, शाढौरा एवं नईसराय से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधि० के अंतर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रु. की सीमा तक।
8. जिला अशोकनगर के कन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका की सीमाओं एवं जिला मुख्यालय अशोकनगर की तहसील की सीमाओं को छोड़कर तहसील ईसागढ़, शाढौरा एवं नईसराय की सीमाओं से उद्भूत भा. विवाह विच्छेद अधि. 1980, हि. विवाह अधि. 1955, गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि. 1890 के अंतर्गत प्रकरण।
9. मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तह. अशोकनगर ईसागढ़, शाढौरा एवं नईसराय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न।
10. अन्य सभी प्रकार के साम्प्रतिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे।
11. माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर ज्ञापन क्र० डी/1869 जबलपुर दिनांक 18.06.2021 एवं माननीय उच्च न्यायालय आपराधिक अपील संख्या 5189/2020 प्रमोद यादव वि० म०प्र० राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2021 के अनुपालन में संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले एस०एसी०/एस०टी० एक्ट न्यायालय के वे मामले जिनमें दोनों अधिनियमों अर्थात् पॉक्सो एक्ट एवं एस०सी०/एस०टी० एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
नोट—माननीय उच्च न्यायालय से अधिसूचना प्राप्त होने की दिनांक से ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 एवं एस०सी०/एस०टी० से संबंधित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रभावशील होगा।
12. तहसील अशोकनगर, शाढौरा, नईसराय एवं ईसागढ़ से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध जैसे रेप, गैंगरेप, रेप विथ मर्डर एवं उससे संबंधित समस्त अपराध।

प्रथम
जिला एवं अति०
सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के
न्यायालय के
तृतीय अति.
न्यायाधीश
(श्री किशोर
कुमार निनामा)

सत्रखण्ड
अशोकनगर

तहसील
ईसागढ़ एवं
शाढ़ौरा

1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण, आप. अपील, आप. पुनरीक्षण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेंगे।
2. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक एवं व्यवहारवाद तथा अन्य प्रकरणों से उद्भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण
3. अन्य सभी प्रकार के साम्प्रतिक प्रकरण जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे।
4. तहसील ईसागढ़ एवं शाढ़ौरा से उत्पन्न एक करोड़ एक रु. से दस करोड़ रुपये तक के व्यवहारवाद, मय दिवालिया प्रकरण।
5. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण जिला अशोकनगर से उत्पन्न होने वाले प्रकरण।

नोट—माननीय उच्च न्यायालय से अधिसूचना प्राप्त होने की दिनांक से ही एन.डी.पी.एस. अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रभावशील होगा।

6. म०प्र० शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल, की, अधिसूचना, फा० क्र०, 1976/21-ब(एक)/2024 भोपाल, दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेन्सी एक्ट, 2008 अंतर्गत दर्ज होने वाले प्रकरण।
7. अपमिश्रित औषधियों या नकली औषधियों से संबंधित अपराधों के मामलों में विचारण करने हेतु जो उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय है, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सत्र प्रकरण।

7(अ) प्रथम/चतुर्थ जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एवं प्रथम/द्वितीय/अति० जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर एवं प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र अति० न्यायाधीश, अशोकनगर, के, न्यायालय, के, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति० न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश (दीवानी/फौजदारी) जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने से उनका निराकरण करेंगे तथा उनके न्यायालय से उत्पन्न विविध व्यवहारवाद/निष्पादन वाद का भी विधिवत निराकरण करेंगे तथा निराकृत दीवानी एवं क्लेम प्रकरणों से उत्पन्न सभी समस्त प्रकरणों का विधिवत

निराकरण करेंगे।

तहसील
अशोकनगर,
ईसागढ़, शाढ़ौरा,
नईसराय (दिनांक
24.04.2026 से
दिनांक 30.06.
2026 अवधि तक
एवं दिनांक 01.10.
2026 से दिनांक
31.12.2026 अवधि
तक के लिए)

7(ब) जिला अशोकनगर के कन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका की सीमाओं एवं जिला मुख्यालय अशोकनगर की तहसील की सीमाओं को छोड़कर तहसील ईसागढ़, शाढ़ौरा एवं नईसराय की सीमाओं से उद्भूत भा. विवाह विच्छेद अधि. 1980, हि. विवाह अधि. 1955, गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि. 1890 के अंतर्गत प्रकरण।

19. प्रथम व्य0 न्याया0
कनिष्ठ खण्ड
खण्ड, मुंगावली
(श्रीमती पारूल
चौकसे राय)

तहसील
मुंगावली एवं
पिपरई

1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के।
2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।
3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक, दो से उत्पन्न होने पर।
4. तहसील मुंगावली (तहसील मुंगावली व पिपरई के क्षेत्राधिकार तक) के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।

20. द्वितीय व्य0
न्याया0 कनिष्ठ
खण्ड खण्ड,
मुंगावली
(सुश्री दिव्यांशी
मंडराई)

तहसील बहादुरपुर

1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन एक रु. से पांच लाख तक, मय दीवालिया प्रकरण
2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।
3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक, दो से उत्पन्न होने पर।

4. तहसील बहादुरपुर (तहसील बहादुरपुर के क्षेत्राधिकार तक) के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
21. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मुंगावली (रिक्त न्यायालय) — रिक्त न्यायालय
23. प्रथम व्य0 न्याया0 कनिष्ठ खण्ड, चंदेरी (सुश्री अदिति कैथवास) तहसील चंदेरी
1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण के।
2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-2 पर अंतरित किये जावेंगे।
3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रमांक एक, दो से उत्पन्न होने पर।
4. तहसील चंदेरी के समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।
25. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ईसागढ़ (श्री.अंशुल जैन) ईसागढ़
1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन पांचलाख एक रुपये से एक करोड़ रुपये तक, मय दीवालिया प्रकरण।

2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण, जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेगे।
3. लघुवाद अधि. के अंतर्गत पाँच सौ रुपये तक के प्रकरण।
4. तहसील ईसागढ़ में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत अपीले।
5. मुस्लिम महिला तलाक एवं संरक्षण अधि० 1986 के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
6. भारतीय उत्तराधिकार अधि.के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण।
7. क्रं. 1 लगायत 6 के प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन।
8. मुख्यालय अशोकनगर के समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय जिनके द्वारा तहसील ईसागढ़ के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों में निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के तहसील ईसागढ़ के क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।

**25(अ) व्यवहार
न्यायाधीश,
कनिष्ठ खण्ड,
ईसागढ़
(सुश्री.श्वेताआर्य)**

तहसील ईसागढ़

1. व्यवहारवाद जिनका मूल्यांकन रुपये एक से पांच लाख रुपये तक है, मय दीवालिया प्रकरण क।
2. ऐसे सभी व्यवहार प्रकरण जो सुनवाई हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावेंगे।
3. विविध व्यवहारवाद एवं प्रवर्तन कॉलम क्रं० 01 एवं 02 से उत्पन्न होने पर।
4. मुख्यालय अशोकनगर के समस्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय जिनके द्वारा तहसील ईसागढ़ के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों में निर्णय/आदेश पारित किये

गये हैं, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय/आदेश, जो अपील न्यायालय से वापस प्राप्त होने पर, उनका निराकरण करेंगे एवं उनके न्यायालयों के तहसील ईसागढ़ के क्षेत्राधिकार से संबंधित सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां संपादित करेंगे।

नोट:-

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर से पत्र क्रं0 सी/1654 जबलपुर दिनांक 18.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0), एवं विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) के न्यायालय से संबंधित उक्त अधिनियम के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जावेंगे एवं सभी वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।
- 2- विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम, 2012) के न्यायालय से संबंधित उक्त अधिनियम के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने एवं अन्य दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जावेंगे एवं वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।
- 3- ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाश की अवधि में प्रस्तुत होने वाले व्यवहारवाद सिविल न्यायालय नियम की धारा 21(5) में दिये गये निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय वादपत्र ग्रहण कर विधिवत सुनवाई करेंगे।
- 4- न्यायाधीशगणों के अवकाश/ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में या न्यायालय रिक्त होने की दशा में न्यायाधीशगण का न्यायिक कार्य विभाजन पत्रक के साथ सलग्न अनुलग्नक-“ए” अनुसार न्यायाधीशगण न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित करेंगे एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशगण तथा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के अवकाश व अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने की दशा में मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा संबंधित न्यायालय का कार्य एवं अतिरिक्त आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।

(सतीश चन्द्र शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म.प्र.)

पृ० क्रमांक 1038/एक-11-03/सां०/2010
प्रतिलिपि :-

अशोकनगर दिनांक 24-4-26

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण न्यायिक जिला स्थापना अशोकनगर।
2. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
5. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/ईसागढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म०प्र०)

—:: अनुलग्नक - "ए" ::—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

33	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चंदेरी (सुश्री मानसी अग्निहोत्री)	व्य न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चंदेरी (श्री महेंद्रसिंह)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली (रिक्त न्यायालय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली (सुश्री पारुल चौकसे)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मुंगावली (सुश्री द्रुतिका उपाध्याय)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्री शुभम द्विवेदी)	मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश
34	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर (सुश्री सोनल गुप्ता)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्रीमती किरन तुमराची धुवे)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के चतुर्थ अति. न्यायाधीश	व्य न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	व्य न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अति० न्यायाधीश	व्य न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, चंदेरी (श्री महेंद्रसिंह)	मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश
35	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय तहसील चंदेरी	व्य न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली	व्य न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुंगावली के अति० न्यायाधीश	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती हर्षिता शर्मा गौर)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अशोकनगर (सुश्री सोनल गुप्ता)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अशोकनगर (श्रीमती किरन तुमराची धुवे)	मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश

नोट-

- 1- मुंगावली एवं चंदेरी स्थित अति० सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालयों के सत्र एवं अन्य आपराधिक प्रकरणों के साधारण प्रकृति के कार्य (गुण, दोष के आधार पर निराकरण को छोड़कर जैसे रिमांड, वारंट एवं आदेश पत्रिकाओं पर हस्ताक्षर) औपचारिक कार्य हेतु मुंगावली एवं चंदेरी स्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत होंगे।
- 2- मुंगावली एवं चंदेरी स्थित व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालयों सिविल प्रकरणों के साधारण प्रकृति के अत्यावश्यक कार्य जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के अधिकार क्षेत्र में भी आते हों, उक्त प्रकरणों के औपचारिक कार्य हेतु मुंगावली एवं चंदेरी स्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड अधिकृत होंगे।
- 3- उपरोक्त तालिका अनुसार प्रथम से षष्ठम प्रभार पर अंकित न्यायिक अधिकारीगण के भी अनुपस्थिति/अवकाश पर होने अथवा रिक्त न्यायालय होने की स्थिति में जिला मुख्यालय/तहसील न्यायालय के उसी क्रम में वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास अत्यावश्यक कार्य का प्रभार रहेगा।
- 4- तहसील ईसागढ़ स्थित प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ईसागढ़ के अवकाश पर या अन्यथा अनुपस्थित रहने के दौरान उक्त न्यायालय के सिविल प्रकरणों के साधारण प्रकृति के अत्यावश्यक कार्य जो व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हों, उक्त प्रकरणों के औपचारिक कार्य हेतु ईसागढ़ स्थित व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड ईसागढ़ को अधिकृत होंगे।

**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (MOPO)**